अध्याय 2 लेखापरीक्षा ढांचा

2.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

कम्पनी के संयुक्त उद्यम प्रचालनों की निष्पादन लेखापरीक्षा पहली बार आरम्भ की गई थी क्योंकि 1965 में निगमन से मार्च 2004 तक कम्पनी ने केवल आठ खोज तथा उत्पादक (ईएण्डपी) परिसम्पत्तियां प्राप्त की थीं और 2003-04 में इसका टर्नओवर मात्र ₹ 3,245 करोड़ थी। तथापि 2004-10 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा कुल 37 नई ईएण्डपी परिसम्पत्तियां प्राप्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त निगमन से कम्पनी द्वारा त्यागी गईं आठ परिसम्पत्तियों में से हाइड्रोकार्बन की खोज न होने के कारण और ₹ 997.66 करोड़ का व्यय करने के बाद इस अवधि के दौरान सात परिसम्पत्तियां त्याग दी गई थीं।

लेखापरीक्षा में 2004-05 से 2009-10 तक की अवधि के लिए संयुक्त उद्यमों (जेवी) के माध्यम से तथा अपनी सहायक या जेवी कम्पनियों के माध्यम से विदेशी तेल गैस क्षेत्रों की प्राप्ति, खोज, विकास तथा उत्पादन से संबंधित भारत में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कम्पनी के लेनदेनों की समीक्षा और इन विदेशी खोज तथा उत्पादक (ईएण्डपी) परिसम्पत्तियों के संबंध में यथावत सचेतना, संयुक्त उद्यमों के गठन तथा आन्तरिक नियंत्रणों की प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच की गई।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निम्निलखित लेखापरीक्षा मानदण्डों का उपयोग किया गया थाः

- ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में निवेश अवसरों की पहचान, आंकने तथा मूल्यांकन करने की कार्यविधि, यथावत सचेतना की पर्याप्तता।
- जेवी गठन के पीछे मूलाधार और संयुक्त प्रचालन अनुबन्ध (जेओए) और खोज तथा उत्पादन भागीदारी अनुबन्ध (ईपीएसए)/कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा करने के लिए जेवी प्रचालनों को शासित करने वाले उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) की शर्तों तथा निबन्धनों की पर्याप्तता तथा औचित्य, और
- निवेश पर पणधारियों के उचित आश्वासन देने के लिए आन्तरिक नियंत्रण, तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबन्ध की पर्याप्तता ।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड तथा कार्यप्रणाली

निम्निलखित लेखापरीक्षा मानदण्डों का उपयोग किया गया थाः

- ईएण्डपी परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए कम्पनी तथा भारत सरकार की नीतियां तथा मार्गनिर्देश;
- मेजबान देशों के कानूनी प्रावधान, नियम तथा विनियम;
- करारों/अनुबन्धों की शर्तें तथा निबन्धन ; और
- पेट्रोलियम संसाधन प्रबन्धन प्रणाली के मानक मार्गनिर्देशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं

लेखापरीक्षा में ब्लाकों के अभिग्रहण, भूकम्पीय डाटा का संसाधन तथा व्याख्या और कार्यसूची एवं बोर्ड कार्यवृत, तकनीकी, कानूनी तथा वित्तीय सलाहकारों के विचार, जेएओ, ईपीएसए/पीएससी के साथ भण्डार अनुमान से संबंधित अभिलेखों तथा कम्पनी के निगम कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की जांच की गई। बाद में यह महसूस किया गया था

कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष ईएण्डपी ब्लाकों में पणों की प्राप्ति के लिए अन्य ईएण्डपी कम्पनियों द्वारा अपनाई गई मानक प्रथाओं के साथ निर्देश चिन्हित होने अपेक्षित थे। तदनुसार दो तकनीकी विशेषज्ञों, यथा श्री वाई बी सिन्हा, पूर्व निदेशक (अन्वेषण) ओएनजीसी लिमिटेड तथा श्री पी के चन्द्रा ओएनजीसी लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष तथा सलाहकार लगाए गए थे जिन्होंने इस समीक्षा के तकनीकी विषयों पर अपने विशेषज्ञ विचार प्रस्तुत किए। उनके विचार निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित प्रकार से सम्मिलित किए गए हैं। मंत्रालय से प्रतिक्रियाएं प्राप्त होने के बाद मंत्रालय तथा प्रबन्धन के साथ 24 नवम्बर 2010 को एक बैठक की गई थी और इस अन्तरक्रिया के दौरान उनके द्वारा दिए गए और स्पष्टीकरण तथा टिप्पणियों पर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय विचार भी किया गया था।

न्यायिक नमूना आधार पर इस लेखापरीक्षा में 45 ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में से 20 नमूने मार्च 2010 तक उत्पादक, विकासशील, अन्वेषण तथा छोड़ दी गई श्रेणियों में ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में वर्गीकरण करने हेतु लिए गए थे जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

ई एण्ड पी परिसम्पत्तियां	परिसं.की संख्या	मार्च 2010 को कुल निवेश (करोड़ ₹ में)	लेखापरीक्षा हेतु चयनित परिसम्पत्तियां	लेखापरीक्षा हेतु चयनित परिसम्पत्तियों में कुल निवेश (करोड़ ₹ में)	कुल निवेश से चयनित ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में निवेश की प्रतिशतता
उत्पादक विकासशील/ अन्वेषित	14	49,195.79	7	44,196.06	89.84
अन्वेषण	23	2,229.94	7	1,242.81	55.73
छोड़ दी गईं	8	1,066.17	6	978.88	91.81
जोड़	**45**	**52,491.90**	**20**	**46,417.75**	**88.43**

ब्लाकों के प्रतिनिधि नमूने अन्तर्ग्रस्त निवेश तथा घटकों के आधार पर चयनित थे। सांख्यिकीय नमूनों का चयन करना सम्भव नहीं था क्योंकि एक अन्वेषण परिसम्पत्ति, एक विकासशील परिसम्पत्ति तथा एक उत्पादक परिसम्पत्ति की खरीद के बीच अन्तर्ग्रस्त जोखिम में क्रमशः काफी अधिक तथा नितान्त निम्न तक का अन्तर था।

निष्कर्षतः लेखापरीक्षा में उत्पादक, विकासशील, अन्वेषण तथा छोड़ी गई ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक को शामिल किया गया क्योंकि उत्पादक तथा विकासशील ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में अधिकतम निवेश हुआ जबकि अन्वेषण परिसम्पत्तियों, जिनमें निवेश पर नितांत उच्च लाभ की सम्भावना थी जिसके कारण निम्नतम व्यय हुआ और इसलिए परिसम्पत्तियां छोड़ दी गईं।

2.4 आभार

सूचना, अभिलेख, स्पष्टीकरण मुहैया कराने के संबंध में और समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श का प्रबन्ध करने के लिए कम्पनी के प्रबन्धन से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार तीन अध्यायों में चर्चा की गई है:

- **अध्याय 3:** निवेश अवसरों के मूल्यांकन से संबंधित विधिवत सचेतना प्रक्रियाओं का संकेत करता है
- **अध्याय 4:** संयुक्त उद्यम बनाने के समय के विषयों पर चर्चा करता है
- **अध्याय 5:** आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में अपर्याप्तताओं का उल्लेख करता है

अध्याय

3

निवेश अवसरों का मूल्यांकन